(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)

O.I.G.S.

डाक पंजीयन क्रमांक जयपुर सिटी/205/2024-26

राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 12 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 1 अगस्त, 2024 मूल्य : 3.00 वार्षिक शुल्क 60 रु

विश्व युवा कौशल दिवस-2024

जयपुर। प्रदेश में 'विश्व युवा कौशल दिवस-2024' के आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री के. के. विश्नोई पारितोषिक वितरण करते हुए एवं मंच साझा करते अन्य अतिथिगण।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा दिनांक 15.7.2024 को 'विश्व युवा कौशल दिवस-2024' मनाया गया।

इस अवसर पर समारोह को सम्बोधित करते हुये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री के. के. विश्नोई राज्य मंत्री कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने कहा कि हमारा लक्ष्य हैं कि हर युवा के पास शैक्षिक योग्यता के साथ व्यावहारिक कौशल और तकनीकी दक्षता भी हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि कौशल विकास के नाम में ही बहुत कुछ छिपा हैं। यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम है, बल्कि हमारे देश की समृद्धि और विकास का भी स्तम्भ है। आज हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। हमारे देश की जीडीपी दुनिया के पाँचवें स्थान पर है, और हमे तीसरे स्थान का लक्ष्य प्राप्त करना है। आज हम युवा कौशल दिवस 2024 के अवसर पर एकत्रित हुए है और यह हमारे लिए गर्व का विषय हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के बाद अब 2047 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु संकल्पित हैं।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री श्री के.के. विश्नोई संबोधित करते हुए।

हमारे देश की युवा शक्ति और उनके कौशल विकास के महत्व को दर्शाता हैं कि हमारे युवाओं के पास वह क्षमता और योग्यता हैं जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राष्ट्र के विकास मे भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमे अपने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा तथा उन्हें नवीनतम तकनीकों और उद्योगो की आवश्यताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा।

श्री पी सी किशन, शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग एवं अध्यक्ष आरएसएलडीसी ने कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और विकास के महत्व को उजागर करना है। इस प्रकार के आयोजनों एवं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आरएसएलडीसी राजस्थान के युवाओं को प्रगति की दिशा में अग्रसर करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं।

युवाओं को कौशल विकास की दिशा में इस प्रकार के प्रयासों का महत्व भगवद गीता के श्लोक में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं। विशेषकर भगवद गीता के श्लोक "योगः कर्मसु कौशलम्" को संदर्भित किया जा सकता हैं। इसका अर्थ हैं कि "योग कर्मो में कौशल हैं।" यह श्लोक दर्शाता हैं कि योग का उद्देश्य कर्मो को कुशलता और दक्षता के साथ करना हैं। योग केवल ध्यान और साधना नही हैं, बल्कि यह कार्यों को सही तरीके से करने की कला है। इस दृष्टिकोण से योग और कौशल का संबंध स्पष्ट है।

उन्होंने बताया कि आरएसएलडीसी द्वारा प्रदेश में वर्ष 2012 से ही कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। भविष्य में भी निगम द्वारा प्रदेश की प्रगति हेतु युवाओं को नवीन क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने उपस्थित युवाओं को विश्व कौशल दिवस की शुभकामनायें देते हुए तथा युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नही हैं, बल्कि कौशल और हुनर से राजस्थान को नई उंचाइयों पर ले जाना आवश्यक हैं। उन्होंने अपस्किलिंग और नवाचार पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, ताकि युवाओं को वर्तमान समय की मांग के अनुसार सक्षम बनाया जा सकें।

कार्यक्रम में स्कील एम्बेसेडर, स्कील आईकॉन एवं इंडिया स्कील्स मिशन प्रतियोगिता 2023-24 के मैडल विजेताओं का सम्मान किया गया।

श्री भूपेन्द्र यादव, महाप्रबन्धक, राजस्थान कौशल, आजीविका एवं विकास निगम ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों, एवं युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर श्री धर्मपाल मीना, निदेशक रोजगार विभाग, श्री एन.के.गुप्ता निदेशक, आई.टी.आई. तथा आरएसएलडीसी, रोजगार विभाग, आई.टी.आई. के अधिकारी, कर्मचारी एवं बडी संख्या में युवा उपस्थित रहें।

'विश्व युवा कौशल दिवस-2024' पर राजस्थान रोजगार संदेश के विशेषांक का लोकार्पण करते हुए अतिथिगण।

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः विज्ञापन.सं. 08/EXAM/Protection Officer/RPSC/EP-I/2024-25 दिनांक 19.07.2024

आयोग द्वारा **महिला एवं बाल विकास** विभाग के लिए राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 के अन्तर्गत **संरक्षण अधिकारी** (Protection Officer) के कुल 04 पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

कुल पदों की संख्या	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
04 (Backlog)	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. - Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0

2- P.H. (i) B/LV-0 (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0 (iv) (a) I.D.,M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. -0

नोटः– उक्त 04 पद वर्ष 2018 की भर्ती के बैकलॉग के है जिसके पश्चात् वर्ष 2022 में बैकलॉग के रूप में विज्ञापित किये गये थे।

Abbreviations Used: GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blind/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of hearing, LD/CP & Others – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped, SP- Sports Person.

टिप्पणीः– एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

नोट :-

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या **इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा।** पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणीः–"बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

(i) **Law Graduate (LL.B)/Masters in Social Works (MSW) from a University established by law in India.**

(ii) **Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.**

Note: 1. **अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।**

2. **असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याया संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र किये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।**

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **प्रतियोगी परीक्षा** से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे–बैण्ड	पे–मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) **नोट :–** राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। **नोट :– उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2023 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकायु के होते है, उन्हे नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।**

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Woman Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widows and divorced women. **Explanation :-** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under these rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these rules.	
7	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidate shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग या बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission or Board/Appointing Authority, as the case may be and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;	
9	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for the persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector undertaking/corporation in substantive capacity shall be 40 years.	
10	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission or Selection Committee had they been eligible as such at the time of joining the Commission in the Army.	
11	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। There shall be no age limt in the case of Persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.	
12	रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों एवं पूर्व सेवा कर्मियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। That the upper age limit for the reservist namely the Defense personnel transferred to the reserve and the Ex-Service personnel shall be 50 years.	
13	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
14	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	

नोट :– विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नोट –

1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 10 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
3. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् **(Vertical)** व क्षैतिज **(Horizontal)** आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(क्रमशः)

अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 27 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांको के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 29.07.2024 से दिनांक 27.08.2024 रात्रि 12–00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।
	4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/ SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें। Note: ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश–पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जा सके। 5. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन अवधि के दौरान खिंचवाई गई दिनांकित फोटो, हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगुठा निशानी भी लगाई जायेगी। 6. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में धुंधली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो अपलोड की जावे एवं इसी फोटो को परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें। यही फोटो काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र हेतु भी उपयोग में ली जायेगी। अन्य/असमान फोटो स्वीकार्य नहीं होगी। 7. अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। 8. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। 9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। 10. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। 11. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 12. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। 13. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें। 14. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :– ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:–

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/– का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
   Note: विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।
3. **One Time Registration (OTR)** लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/– रूपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाईन/ऑनलाईन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकबारीय पंजीयन शुल्क :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:–

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – रूपये 600/–
2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया क्षेत्र) के अभ्यर्थी – रूपये 400/–
3. दिव्यांगजन – रूपये 400/–

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवावें।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:–

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते है, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन–पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते है, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्र, अभ्यर्थी का वचन–पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता–Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण–पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।

SCHEME AND SYLLABUS FOR APPOINTMENT TO THE POST OF PROTECTION OFFICER THROUGH WRITTEN EXAMINATION

SCHEME :

Examination :

(i) The competitive examination shall carry 600 marks.
(ii) There will be two papers. Both the papers shall be of 300 marks each. Duration of both papers shall be 3 hours each.
(iii) A candidate must take the compulsory examination and any one of the optional papers below :
    (a) Social work (b) Law
(iv) All the questions in both the papers shall be multiple choice type questions.
(v) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
    Explantion: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
(vi) Minimum passing marks shall be 40% in each paper.
    नोटः– राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान निःशक्तजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट/रियायत दी जायेगी।
(vii) All papers unless specifically required, shall be answered either in English or Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and English unless specifically allowed to do so.
(viii) The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:–

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :–

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. **अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।**
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता

(शेष पृष्ठ 6 पर)

करियर इन सोशियोलॉजी

सीनियर सैकंडरी परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं। विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि के अनुरूप स्ट्रीम का चयन करेंगे। यदि विद्यार्थी आर्ट स्ट्रीम में अपनी कॉलेज शिक्षा की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने वैकल्पिक विषय मे सोशियोलॉजी को रख सकते हैं। सोशियोलॉजी में बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है। सोशियोलॉजी को पढ़कर विद्यार्थी समाज से बेहतर ढंग से जुड़ता है। उसमें सामाजिक घटनाओं का तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, विश्लेषण करने का गुण विकसित होता है। अपने करियर के साथ वह समाज सेवा एवं समाज सुधार के कार्यों में रुचि लेने लगता है। इसलिए कला स्नातकों के पसंदीदा विषयों में से एक है - सोशियोलॉजी। भारत के 2900 कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है जिसमें 35% सार्वजनिक एवं सरकारी कॉलेज है, शेष निजी क्षेत्र के है। सोशियोलॉजी को पढ़कर विद्यार्थियों में कौशल, रुचि, योग्यता, क्षमता, ऊर्जा का विकास होता है। वे जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ वे असाधारण प्रदर्शन करते हैं।

सोशियोलॉजी में कोर्सेज

1. बी. ए. (अन्य वैकल्पिक विषयों के साथ एक विषय सोशियोलॉजी)
2. बी. ए. (ऑनर्स) सोशियोलॉजी
3. एम. ए. सोशियोलॉजी
4. एम. ए. (ऑनर्स) सोशियोलॉजी
5. यूजीसी - नेट
6. पीएचडी इन सोशियोलॉजी

एम फिल इन सोशियोलॉजी (नई शिक्षा नीति 2020 में इसे बंद कर दिया गया है।)

विद्यार्थी सोशियोलॉजी ही क्यों चुने ?

इसके कुछ आधार इस प्रकार है-

सोशियोलॉजी में शीर्ष जॉब सेक्टर (अपेक्स करियर)-

1. सिविल सेवक प्रतियोगियों की पसंद (विद्यार्थी यदि यूपीएससी)

आईएएस की तैयारी करते हैं अथवा बनना चाहते हैं तो उनके लिए सोशियोलॉजी में काफी संभावनाएं हैं। सोशियोलॉजी यूपीएससी के परीक्षार्थियों की पसंदीदा एवं स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष से ही सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उनकी विषय में गहरी पकड़ हो जाती है। उनके लिए यूपीएससी फाइट करना थोड़ा सहज हो जाता है। ऐसे यूपीएससी पास किए हुए सिविल सेवक अपनी सरकारी सेवा एवं संस्थानों में बेहतर भूमिका निर्वहन कर पाते हैं।

2. शिक्षा जगत में अवसर

सोशियोलॉजी में आवश्यक अर्हता प्राप्त कर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रिसर्चर, रिसर्च अस्सिटेंट, एमिनेंट प्रोफेसर आदि की अपार संभावनाएं है। हाल ही में स्कूल शिक्षा में भी सोशियोलॉजी का स्कोप बढ़ा है। वहाँ भी व्याख्याता बनने के अवसर उपलब्ध है।

3. समाज सेवा फील्ड में स्कोप

सोशियोलॉजी में एम. एस. डब्ल्यू. की डिग्री प्राप्त कर एक पेशेवर सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी फर्मो से जुड़कर समाज सेवा एवं सुधार के कार्य कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का विद्यार्थी अपने देश की बहुल संस्कृति को बेहतर ढंग से समझकर समाज सुधार या समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं।

4. परामर्श क्षेत्र में अवसर

समकालीन समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याए सम्मुख है। महानगरीय समाजों में जटिल होते सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश में परामर्श विशेषज्ञ के पर्याप्त अवसर है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, कम्युनिटी काउंसलर, फैमिली काउंसलर एवं रिसर्चर आदि के रूप में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। महानगरीय समाजों में जहाँ संयुक्ता कम है, एकलवाद एवं अलगाव अधिक है, वहाँ परामर्शदाता रूप में नवीन संभावनाएं बन रही है। फैमिली काउंसलर हेतु ज्यादा संभावना है। बेमेल एवं विलंब से हो रहे विवाह आदि से उत्पन्न वैवाहिक समस्याओं के समाधान में परामर्शदाता की भूमिका में अपने तटस्थ, वस्तुनिष्ठ ज्ञान से बेहतर परामर्श करते हैं।

5. नीति अधिकारी

कई औद्योगिक संस्थान एवं धर्मार्थ संस्थाएं अपने बेहतर परिणाम हेतु नीति अधिकारी अप्वॉइंट करने लगे हैं। नीति अधिकारी अपने शोध एवं विश्लेषण से आवश्यक नीतियों का सृजन कर उन्हें क्रियान्वित करने हेतु प्रबंधन को सलाह देते हैं।

6. पी आर अधिकारी

कई संस्थान सोशियोलॉजी से जुड़े लोगों को अपने संस्थानों में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में रखते हैं। वे अपने व्यवहारिक ज्ञान से संस्थान एवं संस्थान से बाहर प्रभावी भूमिका का निर्वाहन करते हैं। इस क्षेत्र में भी काफी संभावना है।

7. विपणन शोध एवं विज्ञापन कार्यकारी

विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में संस्थान के लक्ष्यों को सहज बनाने हेतु शोध कर रिपोर्ट प्रबंधन को देने का काम करते हैं।

8. रिहैबिलिटेशन काउंसलर

सोशियोलॉजी में आवश्यक अर्हता प्राप्त कर पुनर्वास परामर्शदाता बनने के पर्याप्त अवसर है। दिग्भ्रमित एवं गुमराह युवाओं, किशोरो-किशोरी को पुनर्वास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाएं अथवा गैर सरकारी संस्थाएं किशोर सदन, अनाथ आश्रम रिहैबिलिटेशन सेंटर आदि में इसकी नियुक्ति करते हैं।

9. लेखन एवं पत्रकारिता क्षेत्र में

सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद व्यक्ति में समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, मनोविज्ञान, विधि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, अपराध, तनाव, समायोजन, विकास, मनोरंजन आदि को समझने की अद्भुत क्षमता, योग्यता, कौशल विकसित होता है। जिससे विविध तथ्यों का विश्लेषण कर सामाजिक मुद्दों पर वस्तुस्थिति के प्रकटीकरण के साथ ही समाधान हेतु बेहतर लेखन एवं कार्य किए जा सकते हैं। मीडिया हाउस में ऐसे लोगों की विशेष मांग होती है। सामाजिक विषयों पर सोशियोलॉजी का जुड़ा पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में कमाल कर सकता है। वह सामाजिक समस्याओं के समाधान के बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में सोशियोलॉजी में रोजगार के बेहतरीन अवसर हैं। वस्तुत: सोशियोलॉजी करियर के साथ ही एक शांत एवं संयमित अनुशासन है। जिससे जीवन के प्रति सकारात्मक बढ़ती है। सामाजिक समस्याओं के समाधान की ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यक्ति में विशिष्ट कौशल, रुचि, योग्यता का विकास होता है। अत: विद्यार्थियों को सोशियोलॉजी के चयन की सलाह दी जाती है।

लेखक :-
डॉ नरेंद्र कुमार परेवा
एसोसिएट प्रोफेसर (सोशियोलॉजी)
स्व. पंडित नवल किशोर शर्मा,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा

पढ़ाई के साथ उच्च शिक्षा तथा करियर की तैयारी

हम सभी अपने लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। यह मानव स्वभाव है। हमारे माता-पिता, परिवारजन एवं अन्य शुभचिंतक भी हमारे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमें अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में अच्छा कर सकें । शिक्षा के महत्व पर सदैव जोर दिया जाता है और इसे भविष्य का निर्माता कहा जाता है । हमारा भविष्य बहुत कुछ इससे जुड़ा होता है कि हम किस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और आगे चलकर कौन-सा करियर चुनेंगे।

आप अपने आस-पास सुनते होंगे कि समय बदल गया है या तेजी से बदल रहा है। वास्तव में आज की नयी पीढ़ी जिस वातावरण में पल-बढ़ रही है, वह दो-तीन दशक पूर्व के वातावरण से काफी अलग है। शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा । सूचना तथा संचार क्रांति ने हमें जानकारियों तथा मनोरंजन के स्रोतों का विशाल भंडार उपलब्ध करा दिया है।

करियर परिदृश्य भी अब काफी हद तक बदल चुका है। कुछ दशक पहले तक विद्यार्थियों का सबसे अधिक झुकाव इंजीनियर अथवा डॉक्टर बनने की ओर हुआ करता था । मध्यमवर्गीय परिवारों में अधिकांश माता-पिता की भी अपने बच्चों को लेकर यही ख्वाहिश रहती थी। उस दौर में करियर के अवसरों में उतनी विविधता नहीं थी तथा करियर के जो भी अवसर उपलब्ध थे, उनके बारे में लोगों को ठीक से या पर्याप्त जानकारी नहीं हुआ करती थी। यह भी कह सकते हैं की इस विषय को लेकर जागरूकता का अभाव था ।

आज की स्थिति पहले जैसी नहीं है। उदारीकरण के बाद हुए बदलावों तथा आर्थिक, औद्योगिक विकास ने देश में बहुत से नए अवसर उत्पन्न कराए हैं जिनमें शिक्षा तथा करियर के अवसर भी शामिल हैं। लोगों की सोच भी बदली है। आज की नई पीढ़ी ज्यादा जागरुक है और उसे अपना भविष्य तय करने की ज्यादा आजादी है। भविष्य तय करने से यहाँ मतलब अध्ययन तथा करियर के क्षेत्र के चुनाव से है ।

आज के दौर में अवसरों की कमी नहीं है, परंतु हर जगह प्रतियोगिता भी है। प्रतियोगिता में सफल होने तथा अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए समय रहते तैयारी करना जरुरी है। तैयारी तभी अच्छी तरह की जा सकेगी जब जानकारी भी पूरी हो।

बारहवीं के बाद विद्यार्थियों के सामने एक बड़ा प्रश्न होता है कि वे आगे की पढ़ाई के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करें। कई बार यह प्रश्न दसवीं के बाद ही आ खड़ा होता है। यहाँ निर्णय सोच-समझ कर लेना चाहिए । साथ ही आपको उन सभी विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए जो आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज़्यादातर लोगों ने मान लिया होता है कि इंजीनयरिंग अथवा टेक्नोलाजी की पढ़ाई बारहवीं (10+2) के बाद ही की जा सकती हैं जबकि वास्तविकता यह है कि दसवीं के बाद इंजीनयरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष होती है । इस डिप्लोमा के बाद यदि कोई बी. ई. अथवा बी. टेक. करना चाहे तो उन्हें सीधे इन पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में प्रवेश मिल सकता है। किसी विद्यार्थी के लिए सिर्फ यह सोचना पर्याप्त नहीं है की बस उसे इंजीनयरिंग करनी है, उसे यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंजीनयरिंग की कौन-सी शाखा उसकी पसंद या पसंद के सबसे करीब की है। मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनयरिंग के बारे में तो सभी को पता है पर इंजीनयरिंग की केमिकल, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, एनवायरोनमेंटल, बायोमेडिकल आदि शाखाओं की पढ़ाई भी की जा सकती है।

यदि बारहवीं के बाद आपको विज्ञान की पढ़ाई करनी हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी जाने-पहचाने विषय हैं। किन्तु एक नजर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलाजी, माइक्रोबायोलाजी, फोरेंस्ट्री, बायोइन्फार्मेटिक्स, फारेंसिक्स जैसे विषयों पर डाल लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है इनमें से आपको कोई ज्यादा रुचिकर लगे। आजकल एमबीए करने का इरादा रखने वाले विद्यार्थियों की कमी नहीं है । ज्यादातर विद्यार्थी यह समझते हैं की प्रबंधन शास्त्र का यह कोर्स बी. ए., बी. एससी. या बी. टेक. करने के बाद किया जा सकता है। कम लोग जानते हैं कि बीबीए को चुन प्रबंधन शास्त्र की पढ़ाई ग्रेजुएशन के स्तर भी की जा सकती है। फिर आप यह भी तय कर सकते हैं कि सामान्य बीबीए करें या खास बैंकिंग, बीमा या उपलब्ध किसी अन्य विषय पर केंद्रित बीबीए। एमबीए में विशेषज्ञता के विकल्पों-मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस/लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एग्री बिजनेस, सूचना प्रौद्योगिकी को भी परखें। अब बिजनेस अनलिटिक्स, कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग को लेकर भी एमबीए किया जा सकता है। मेडिकल की पढ़ाई करनी हो तो एमबीबीएस सबसे अधिक मांग वाला कोर्स है। पर यदि इस कोर्स में प्रवेश न मिले तो बीडीएस के साथ और विकल्प भी हैं।

इंजीनयरिंग, कामर्स, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कला आदि को मुख्य धारा के विषयों में माना जाता है पर इनसे मिलते-जुलते अथवा-अलग अन्य बहुत से विषय हैं जिनमें से आप आगे चल कर चुनाव कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर, प्लानिंग, शिपिंग, डिजाइन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, संगीत जैसे विषयों में किया जा सकता है। डिजाइन में आप सामान्य कोर्स या फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, कम्यूनिकेशन डिजाइन में से किसी एक की पढ़ाई कर सकते हैं । ग्रेजुएशन के लिए नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, भारतीय या विदेशी भाषाओं, ललित कलाओं, संचार व पत्रकारिता में से भी किसी को लिया जा सकता है।

कोई किस विषय की पढ़ाई करेगा, यह निर्णय अक्सर इस सोच के आधार पर किया जाता है कि पढ़ाई के बाद काम कहाँ करना है। आप अध्ययन का कोई क्षेत्र चुनें, करियर के लिए इसमें अलग-अलग रास्ते मिलेंगे। जैसे यदि किसी ने कानून की पढ़ाई की हो तो वह अदालत में वकालत कर सकता है, किसी लॉ फार्म में काम कर सकता है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की किसी कंपनी में लॉ आफिसर बन सकता है या लीगल कंसल्टेंट का कार्य कर सकता है- किसी कंसल्टेंसी फर्म में या स्वतंत्र रुप से। यदि आपको संभावनाओं का पता होगा तो अवसरों में से चुनाव करना आसान होगा। अध्यापन में रुचि हो तो देख लें कि किस विषय के शिक्षक बनना चाहेंगे और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च में से किस स्तर पर अध्यापन करना चाहेंगे। इसी के हिसाब से आपको बी. एड, यूजीसी- नेट या पीएच. डी का कोर्स करने की आवश्यकता होगी।

कुछ लोगों की पसंद निजी क्षेत्र में कार्य करने की होती है तो कुछ सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए यह चुनाव कोई मायने नहीं रखता। सार्वजनिक क्षेत्र की व सरकारी नौकरियों में भर्ती अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए की जाती है। ग्रेजुएशन किसी विषय में हो, आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परीक्षा में बैठ सकते हैं या सिविल सेवा जो आईएएस के नाम से लोकप्रिय है, का इम्तिहान दे सकते हैं। अगर आपका इरादा ऐसी किसी परीक्षा में बैठने का है तो परीक्षा का स्वरुप समझ कर आप अभी से थोड़ी तैयारी शुरु कर सकते हैं। जैसे किसी का आईएएस में जाने का लक्ष्य हो तो उसे सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज में बहुत मजबूत होना होगा और इसके लिए वह जितनी जल्दी तैयारी शुरु कर दे उतना ही अच्छा रहेगा । उक्त परीक्षा के लिए कुछ ऐच्छिक विषय चुनने होते हैं, इसका निर्णय यदि जल्दी कर लें तो थोड़ा बहुत समय अभी से इन विषयों को दिया जा सकता है जिससे आपको आगे मदद मिलेगी।

ज्यादातर मामलों में विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद पोस्टग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश की कोशिश करते हैं । अतः दो अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं में भाग लेना होता है। विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएशन तथा पोस्टग्रेजुएशन का समन्वित कोर्स करने का रास्ता कई विषयों में खुला है जिसमें एक ही बार प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होता है। इनमें कहीं-कहीं एक साल की बचत भी हो जाती है। जैसे बी. ए. या बी. कॉम. तथा एलएलबी अलग-अलग करें तो छह साल लगेंगे लेकिन दोनों को मिलाकर इंटीग्रेटेड कोर्स 5 वर्षों में ही पूरा किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, जम्मू, रांची तथा रोहतक में से किसी से आप बारहवीं के बाद सीधे पाँच वर्षीय इंटीग्रेटेड एमबीए की प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। बरहमपुर, भोपाल, पुणे, तिरुवनंतपुर, तिरुपति, मोहाली तथा कोलकाता में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में बीएस-एमएस का कोर्स उपलब्ध है। अलग-अलग आईआईटी में भी आपको ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेंगे।

यदि आप में से कोई विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक है तो समय रहते इस संबंध में जानकारी जुटानी शुरु कर देनी चाहिए जैसे कौन-से संस्थान अच्छे हैं, उनके यहाँ प्रवेश की क्या शर्त है, पढ़ाई तथा रहने-खाने का अनुमानित खर्च कितना है, छात्रवृत्ति मिलने की संभावना कितनी है, विद्यार्थी वीजा कैसे मिलेगा आदि। स्टार्ट-अप शुरु करने का इरादा हो तो इसकी जरुरतों को भी अभी से समझना शुरु करें।

उच्च शिक्षा हेतु विषयों, पाठ्यक्रमों अथवा अवसरों की कमी नहीं है। कुछ विद्यार्थियों के सामने बिलकुल स्पष्ट होता है कि उन्हें आगे क्या करना है जैसे किसी की योजना पायलट बनने की हो सकती है। लेकिन जहाँ तस्वीर इतनी साफ न हो या दुविधा हो वहाँ उन विषयों उनकी सूची बनाएँ जिनमें या जिनसे जुड़े करियर में आपकी रुचि हो सकती है। आपको जो नहीं करना है, वह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ विद्यार्थी इंजीनयरिंग में जाने के बिलकुल इच्छुक नहीं होते हैं, जबकि बहुत-से पूरी तरह इसी में जाना चाहते हैं। आप कोई भी निर्णय लें, यह भावावेश में आकर नहीं बल्कि सुविचारित तरीके से लिया जाना चाहिए।

युवा पीढ़ी का ज्यादा समय अपने सहपाठियों, हम उम्र लोगों के साथ व्यतीत होता है। बातचीत भी उन्हीं के साथ ज्यादा होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं । उच्च शिक्षा तथा करियर के विकल्पों तथा इन्हें लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, इसकी चर्चा माता-पिता तथा बड़ों के साथ भी किया करें, आपको अपनी पसंद के क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे अधिकाधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। इस तरह आपको कई नए पहलुओं का पता चलेगा और आपके लिए चुनाव करना आसान हो जाएगा।

लेखक
विजय प्रकाश श्रीवास्तव

(पृष्ठ 3 का शेष)

इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए) यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उमीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

8. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा **D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017** आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण-पत्र मय 500/– रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

11. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में **DBSA No. 72/2022** के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

17. **प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।**

18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता /विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।**
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।**
8. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान –** कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **"कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाऐं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"**
9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती; परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी । परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व **एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

डी.आई.पी.आर/सी/6360/2024 रा.रो.सं 32/2024

(रामनिवास मेहता)
सचिव

राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड

(आरएसपीसीएल और गेल गैस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसपीसीएल) और गेल गैस लिमिटेड की एक राज्य निगमित जेवी कंपनी है, जो घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और ऑटोमोबाइल उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए राजस्थान राज्य में सीएनजी और शहर गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडीएन) कोटा के विकास में लगी हुई है. हम निम्नलिखित पदों के लिए परिणामोन्मुखी, चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रदर्शन करने वाले महत्वाकांक्षी अधिकारियों की तलाश कर रहे हैं:-

एक. नियमित पद:-

क्र. सं.	पदों	श्रेणी	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	वर्षों में अनुभव	अधिकतम आयु	पे बैंड और वेतनमान (प्रति महीना)	स्थान
1.	अधिकारी/ इंजीनियर (परियोजनाएं)	E-1	01 (अना)	**आवश्यक:** इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन) में डिग्री/ पीजी 60% अंकों के साथ या 10-पॉइंट स्केल पर CGPA of 6 या 6-पॉइंट स्केल पर 3. **वांछनीय:** 2 साल पूर्णकालिक /3 साल अंशकालिक मान्यताप्राप्त एमबीए/पीजीडीएम विपणन/सामग्री/उत्पादन प्रबंधन/वित्त/मानव संसाधन विकास, आदि में विशेषज्ञता के साथ एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	कोटा
2.	अधिकारी (वित्त- लेखा)	E-1	01 (अना)	**आवश्यक:** एसीए/एसीएमए/एक प्रतिष्ठित संस्थान से वित्त में विशेषज्ञता के साथ 2 साल पूर्णकालिक एमबीए. **वांछित:** ऊपर से कोई भी दो या तीन योग्यता.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	कोटा
3.	अधिकारी (सी & पी)	E-1	01 (अपिव)	**आवश्यक:** इंजीनियरिंग मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक. **वांछनीय:** सामग्री प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए या एसईसीआई की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	कोटा
4.	अधिकारी (विपणन और बिक्री)	E-1	01 (अना)	**आवश्यक:** इंजीनियरिंग में स्नातक. अधिमानतः इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल. **वांछनीय:** विपणन में विशेषज्ञता के साथ 2 साल का पूर्णकालिक/3 साल अंशकालिक एमबीए/पीजीडीजीएम.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	कोटा
5.	अधिकारी (मानव संसाधन)	E-1	01 (अना)	**आवश्यक:** एचआर/एचआरडी एमजीएमटी/एमएसडब्ल्यू में विशेषज्ञता के साथ 2 साल पूर्णकालिक मान्यताप्राप्त एमबीए/पीजीडीबीएम. **वांछनीय:** एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में एलएलबी.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	कोटा
6.	अधिकारी/ इंजीनियर (ओ एंड एम)	E-1	01 (अजा)	**आवश्यक:** इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन) में डिग्री/पीजी 60% अंकों के साथ या 10-पॉइंट स्केल पर 6 का सीजीपीए या 6-पॉइंट स्केल पर 3. **वांछनीय:** 2 साल पूर्णकालिक/3 साल अंशकालिक मान्यताप्राप्त एमबीए/ पीजीडीएम विपणन/सामग्री/उत्पादन प्रबंधन/वित्त/मानव संसाधन विकास, आदि में विशेषज्ञता के साथ एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	कोटा
7.	कंपनी सचिव	E-1	01 (अपिव)	**आवश्यक:** एसोसिएट/फेलो सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई). **वांछनीय:** लागत लेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट/एलएलबी योग्यता.	तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में एक वर्ष का योग्यता के बाद इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 30 वर्ष	22440-39360	जयपुर

नोट-1: 'पे बैंड के अनुसार मूल वेतन, GOR के अनुसार डीए, संबंधित शहरों की श्रेणी के अनुसार एचआरए, शहर प्रतिपूरक भत्ता, भविष्य निधि ग्रेच्युटी, वाहन रखरखाव व्यय की प्रतिपूर्ति'

2. सभी आवश्यक योग्यताएं पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम हैं और UGC मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या AICTE अनुमोदित संस्थानों से संबंधित वैधानिक परिषद (जहां लागू हों) से होनी चाहिए.

बी. निर्धारित शर्तें अनुबंध:- (3 वर्ष)

1	एसोसिएट (संचालन और रखरखाव)	-	02 (अना)	इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन) में डिप्लोमा. **वांछनीय:** इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन) में डिग्री.	5-14 वर्ष पद योग्यता अधिमानतः तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 28-37 वर्ष	27,000/ (फिक्स्ड)	कोटा
2	एसोसिएट (परियोजना)	-	01 (अना) 01 (अपिव)	इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन) में डिप्लोमा. **वांछनीय:** इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन) में डिग्री	5.14 वर्ष पद योग्यता अधिमानतः तेल और गैस/सीजीडी क्षेत्र में कार्यकारी पदों में इनलाइन अनुभव	31.07.2024 को 28-37 वर्ष	27,000/ (फिक्स्ड)	कोटा

नोट: कृपया यूआरएल लिंक (**https://www.timesjobs.com/timesjobs/rajasthanstategasltd/**) पर पोस्ट किए गए विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से जाएं. इच्छुक उम्मीदवार नौकरी की आवश्यकता की विस्तृत शर्तों के माध्यम से जा सकते हैं और जा सकते हैं, उनकी पात्रता की जांच कर सकते हैं और सीवी के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आरक्षण नियम सरकारी मानदंडों के अनुसार हैं. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.08.2024 के 18:00 बजे तक है. आवेदन/संचार/पत्राचार का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा.

रोजगार के अवसर
(संक्षिप्त जानकारी)

एम्स, देवघर
पद - प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदि
पद संख्या - कुल 66 पद
अंतिम तिथि - 10 अगस्त, 2024
www.aiimsdeoghar.edu.in/

आरपीएससी
पद - जियोलॉजिस्ट व अन्य
पद संख्या - कुल 56 पद
अंतिम तिथि - 20 अगस्त 2024
rpsc.rajasthan.gov.in

आरबीआई
पद - ग्रेड बी ऑफिसर
पद संख्या - कुल 94 पद
अंतिम तिथि - 16 अगस्त 2024
opportunities.rbi.org.in

एनपीसीआईएल
पद - नर्स व अन्य
पद संख्या - कुल 74 पद
अंतिम तिथि - 5 अगस्त 2024
npcilcareers.co.in

राजस्थान हाईकोर्ट
पद - डिस्ट्रिक्ट जज
पद संख्या - कुल 95 पद
अंतिम तिथि - 9 अगस्त 2024
hcraj.nic.in

आईटीबीपी
पद - एसआई हिंदी ट्रांसलेटर
पद संख्या - कुल 17 पद
अंतिम तिथि - 26 अगस्त 2024
https://itbpolice.nic.in/

एसबीआई
पद - स्पेशलिस्ट ऑफिसर
पद संख्या - कुल 1040 पद
अंतिम तिथि - 8 अगस्त 2024
https://sbi.co.in/

जिपमेर
पद - ग्रुप बी व सी
पद संख्या - कुल 209 पद
अंतिम तिथि - 19 अगस्त 2024
jipmer.edu.in

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

1. जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पदम्श्री डॉ. सीताराम लालस पुरस्कार किसे दिया गया ?
(अ) अंजलि शेखावत (ब) महेश्वरी चौहान
(स) डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित (द) इनमें से कोई नहीं

2. भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हुआ है ?
(अ) जोधपुर (ब) बारां (स) बांसवाड़ा (द) बीकानेर

3. राजस्थान की सोलर वुमेन जिन्हें 'प्लेटिनम शक्ति अवॉर्ड' से सम्मानित किया जा चुका है ?
(अ) डॉ. मंजू जैन (ब) नीरू यादव
(स) निशा कंवर (द) मोना अग्रवाल

4. हाल ही में नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो- 2024 का आयोजन कहाँ किया गया ?
(अ) कोटा (ब) अलवर (स) अजमेर (द) जयपुर

5. अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान में संचालित 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है ?
(अ) 33 (ब) 18 (स) 29 (द) 13

6. एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहाँ बनाया जाएगा ?
(अ) उदयपुर (ब) अजमेर
(स) जोधपुर (द) इनमें से कोई नहीं

7. राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पति होती है ?
(अ) अरब सागर (ब) भूमध्य सागर
(स) बाल्टिक सागर (द) लाल सागर

8. साइरोजेक्स एवं रेवेरिना मृदा का संबंध है ?
(अ) बाड़मेर (ब) उदयपुर (स) कोटा (द) श्रीगंगानगर

9. राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र है ?
(अ) 33733 वर्ग किमी. (ब) 32869 वर्ग किमी.
(स) 38869 वर्ग किमी. (द) 34773 वर्ग किमी.

10. राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है ?
(अ) 2010 (ब) 2012 (स) 2014 (द) इनमें से कोई नहीं

11. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है ?
(अ) युलिया नवलनाया (ब) पूर्णिमा बर्मन
(स) अवंतिका वंदनपु (द) जेनी एर्पनबेक

12. हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन 'हेविश्योर' का संबंध किससे है ?
(अ) कैंसर (ब) ब्रेन ट्यूमर
(स) हेपेटाइटिस-ए (द) इनमें से कोई नहीं

13. हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है ?
(अ) हैदराबाद (ब) अहमदाबाद (स) कोच्चि (द) चेन्नई

14. हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ ?
(अ) बांग्लादेश (ब) श्रीलंका (स) सउदी अरब (द) ऑस्ट्रेलिया

उत्तरमाला

(1) स (2) ब (3) अ (4) द (5) ब (6) अ (7) ब (8) द (9) ब (10) अ (11) द (12) स (13) अ (14) द

आत्मविश्वास

नई उड़ान भरने को आत्मविश्वास जरूरी है ॥
नभ पर विजय पाने को,
अन्दर के अहम् का झुकाव जरूरी है ॥
हार के डर से मर रहे सपने भीतर,
उन्हें साकार करने हेतु निडरता
का हथियार जरूरी है ॥
नई उड़ान भरने को आत्मविश्वास जरूरी है
उठ रही जो निराशा मन में,
कर दे बुलंद हौसलों को,
आशा भरी वो साँस जरूरी है ॥
नई उड़ान भरने को आत्मविश्वास जरूरी है
तोड़ दे जो हर मुश्किल को पल में
घोल दे जो सफलता जीवन में,
जल मे वो मिठास जरूरी है ॥
चमकें सितारा बन उम्मीदों का कल हम
अब जीवन मे वो जुनून जरूरी है
कामयाबी की सोच लिए रगों में,
उबलता वो खून जरूरी है ॥
नई उड़ान भरने को आत्मविश्वास जरूरी है
जी लिए हम अब तक भय में बहुत
निर्भय हो लड़ने का लक्ष्य जरूरी है ॥
कर संकल्प अब ना हारने का खुद से
हर जीत का सर पर ताज जरूरी है
नई उड़ान भरने को आत्मविश्वास जरूरी है ॥
सरहदों पर डटे रहे हम,
चोटियों पर भी झंडे गाड़े शहरो में दौड़ाई उन्नति
और अब गॉवो में भी नई तकनीक से
धान उगाना जरूरी है ॥
कहती हैं ये कलम मेरी यही तुम से
हर दिल में नफरत के बदले प्यार जरूरी है ॥
नई उड़ान भरने को आत्मविश्वास जरूरी है ॥

लेखक
वर्षा सिंह जादौन

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वें रु 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।
- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश
मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
उप निदेशक, राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन - 01416658888 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर